राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–65/2019

केशरदेव पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुन(राज)

–प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू (राज.)
2. संतकुमार पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू (राज.)
3. हरचंद पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू (राज.)
4. गोविन्द सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू(राज.)
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू(राज.)
6. सम्पत सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू(राज.)
7. सरदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू(राज.)
8. एस बी आई बैंक शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक बिसाऊ तहसील मलसीसर झुंझुनू ।
11. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा 251कराज. काश्त. अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–03.02.2021

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पाटोदा में भूमि ख.नं. 176 रकबा 3.3600 है. स्थित है। जो प्रार्थी की पैतृक भूमि है। प्रार्थी की भूमि में जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई कटाणी रास्ता दर्ज नहीं है। ख.नं. 176 में आने–जाने के लिए ख.नं. 224 से होते हुए ख.नं. 204 व 175 में प्रवेश करते हुए रास्ता का उपयोग कर रहा है। आवेदकगण द्वारा नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता काम में लिया जा रहा है। आवेदक कि कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक वर्तमान में उक्त रास्ते से अपनी फसल काटने व बौने हेतु ट्रैक्टर, गाड़ी से उपयोग में ले रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का बंद करने कि प्रार्थी का धमकी दी गई। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि का आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति आदेशानुसार अदा करने को तैयार है। अंत में निवेदन किया है कि आवेदक को अपनी कृषि भूमि ख.नं. 176 ग्राम पाटोदा में आने जाने के लिए ख.नं. 224,204,175 में कटाणी रास्ता कायम करने के लिए अप्रार्थी 1 लगायत 7 को आदेशित किया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी वास्ते जवाबदेही की गई।

अप्रार्थी सं. 1 व 2,3,4,5,6,7 स्वयं उपस्थित होकर रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो कोई आपत्ति एतराज नहीं है। प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति हेतु नायब तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाटोदा में स्थित भूमि ख.नं. 224,204,175 से ख.नं. 176 के खेत में जाने के लिए रास्ते के संबंध में मौका जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाटोदा के ख.नं. 224,204,175 से ख.नं. 176 के खेत में जाने के लिए रास्ते के संबंध में मौका जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार पाटोदा–टाई ग्रेवल सड़क से ख.नं. 224 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 132x3= 396 वर्गमीटर , ख.नं. 174 की उतरी–पश्चिमी सहारे–सहारे3x3= 9 वर्ग मीटर व ख.नं. 175 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे 116x3= 348 वर्ग मीटर भूमि में रास्ता ख.नं. 176 में जाने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार उक्त तीन ख.नं. से कुल 753 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जाती है। वर्तमान में ख.नं. 176 में जाने के ए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ग्राम पाटोदा में स्थित 204 रकबा 3.0600 है0 की खातेदारी महेन्द्र, संतकुमार, हरचंद पुत्रगण कुम्भाराम जाति मेघवाल सा0 देह राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, टाई के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने जमीन के बदले जमीन या डी.एल.सी. दर से भुगतान कर वांछित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

नायब तहसीलदार बिसाऊ एव ह.प. पाटोदा की जांच रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 176 में जाने के लिए ख. नं. 224,174 व 175 से रास्ता दिया जाना उपयुक्त है। नजरी नक्शा अंकित है। उक्त विवेचन से साबित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 176 में आने जाने के लिए उक्त वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पाटोदा से टाईं जाने वाली ग्रेवल सड़क के पश्चिमी दिशा में स्थित ख.नं. 224 की दक्षिणी सीमा के सहारे 132x3= 396 वर्ग मीटर, ख. नं. 174 के उतरी पश्चिमी सीमा के सहारे 3x3= 9 वर्ग मीटर व ख.नं. 175 की उतरी सीमा के सहारे 116x3= 348 वर्ग मीटर भूमि में रास्ता ख. नं. 176 में जाने के लिए जमीन के बदले जमीन दिया जाकर रास्ता कायम किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार, मलसीसर नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि अप्रार्थीगणों को दिया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम कर राजकीय रास्ता अंकित करें। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर